दूरभाष : 0771.2285352, 2285353(फैक्स)
E-mail : dco-chh.rgi@censusindia.gov.in

भारत की जनगणना
CENSUS OF INDIA
2011

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS CHHATTISGARH
गोविन्द सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर – 492006
Govind Sarang Complex, 3rd Floor, New Rajendra Nagar, Raipur -492006

क्रमांक डी–27014 / 2 / 2015–डीसीओ(छ.ग.) / 4/138 　　　　　　　　दिनांक– 04/05/2016

पुनर्निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर द्वारा जनगणना 2011 के खाली / खराब अनुसूचियों, निर्देश पुस्तिकाएँ एवं अनुपयोगी कोरूगेटेड बाक्सों को Disposed off (निपटान) किये जाने हेतु पुनर्निविदा आमंत्रित की जाती है।

विवरण निम्नानुसार है:–

क्र	विवरण	प्राप्ति स्थान (जहॉ से सामग्री प्राप्त किया जाना है)	दर प्रति किलोग्राम	टिप्पणी
(अ)	(ब)	(स)	(द)	(इ)
1	जनगणना 2011 के खाली / खराब / अनुपयोगी अनुसूचियों (लगभग 14 टन .)	केन्द्रीय भण्डार निगम, क्षेत्रिय कार्यालय, रावाभाटा, रायपुर	शर्त कमांक 02 में उद्धृतानुसार	वजन पूर्णतः अनुमानित है। वजन उपरांत कम अथवा अधिक हो सकता है।
2	जनगणना 2011 के नियम पुस्तिका (लगभग 6 क्विंटल.)	जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, गोविन्द सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर		वजन पूर्णतः अनुमानित है। वजन उपरांत कम अथवा अधिक हो सकता है।
3	खाली / खराब / अनुपयोगी कोरूगेटेड बाक्स	केन्द्रीय भण्डार निगम, क्षेत्रिय कार्यालय, रावाभाटा, रायपुर		

निविदा जमा करने / खोलने की तिथि

उक्त सामग्री हेतु प्रति किलोग्राम दर सीलबंद लिफाफे में निविदा जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़ में दिनांक 17 / 05 / 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जा सकता है। इस तिथि या समय के बाद प्राप्त निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा। दिनांक 17 / 05 / 2016 को पूर्वाह्न 11.30 बजे कार्यालय के कय समिति के समक्ष निविदा खोला जावेगा। निविदा खोले जाने के दौरान निविदाकर्त्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

शर्तें

1. निविदा में वर्णित सामग्रीयों को निविदाकर्त्ता द्वारा जिस स्थान से प्राप्त करना है अथवा उसे देखना है, उसका वर्णन पृष्ठ कमांक 01 के कालम (स) में अंकित किया गया है, जिसका अवलोकन उनके द्वारा कार्यालय समयावधि में किया जा सकता है।
2. निविदा में वर्णित जनगणना 2011 के खाली/खराब/अनुपयोगी अनुसूचियों का न्यूनतम मूल्य रू. 9.20/- से कम होने कि स्थिति में प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
3. जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार सभी जनगणना रिकार्ड/प्रपत्र पूर्णतः गोपनीय है, जिनका Pulping किया जाना है। उल्लेखनीय है कि Pulping के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिये इसका उपयोग नही किया जायेगा। यदि सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा इनका किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग किया जाता है तो संबंधित फर्म पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही किया जायेगा। इसलिए सफल निविदादाता/बोलीदाता को Pulping उपरांत पेपर मिल का प्रमाण पत्र कार्यालय मे सात दिवस के अंदर प्रस्तुत करना होगा। Pulping पर होने वाला व्यय फर्म द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
4. निविदा के साथ EMD राशि रू. 15000/- का D.D. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीगढ़, रायपुर के नाम से देय हो, जमा किया जाना होगा। EMD के अभाव में प्रस्तुत किए गए निविदाओं पर विचार नही किया जाएगा।
5. निविदा में वर्णित जनगणना 2011 के खाली/खराब/अनुपयोगी अनुसूचियों को प्राप्त करने के लिए निविदा प्रकिया के अंतर्गत सफल निविदाकर्त्ता द्वारा विकय मूल्य की राशि को D.D.के माध्यम से निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीगढ़, रायपुर के नाम से प्रस्तुत करना होगा। विकय मूल्य की संपूर्ण राशि निविदाकर्ता द्वारा D.D. के माध्यम से दिये जाने के उपरांत ही निविदा में वर्णित सामग्रियों को प्रदान किया जायेगा।
6. परिवहन व्यवस्था पर व्यय होने वाली राशि को कार्यालय द्वारा भुगतान नहीं किया जावेगा। निविदाकर्त्ता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
7. प्राप्त निविदा दर एक वर्ष की अवधि तक के लिये मान्य होगा।
8. उक्त सामग्रियों को इलेक्ट्रानिक मशीन से वजन होगा। इलेक्ट्रानिक मशीन से वजन करवाने मे होने वाले व्यय का भुगतान सफल निविदाकर्त्ता द्वारा किया जायेगा।
9. निविदाओं को मान्य/अमान्य करने अथवा निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

(एच.के.सिंह)
सहायकनिदेशक